।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 29.03.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 29.03.2023 को** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री वी.सरवन कुमार, शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री बी.पी. चन्देल, उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में निम्न 09 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
बृजेश सिंह पुत्र इन्द्रवीर सिंह	के.का. उदयपुर	08/2023	02.02.2023	13.02.2023
नारायण पुत्र सुखा उर्फ सुखदेव	के.का. अजमेर	444/2022	16.01.2023	04.02.2023
सांवर लाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारी	के.का. अजमेर	525/2022	02.01.2023	30.01.2023
गौतमलाल पुत्र शंकर रेबारी	के.का. उदयपुर	30/2023	09.02.2023	13.02.2023
शम्भूलाल पुत्र नाथू	के.का. उदयपुर	28/2023	06.02.2023	09.02.2023

बलवीर सिंह पुत्र गुरूदीप सिंह	वि.के.का. श्यालावास	06/2023	05.01.2023	07.02.2023
रामलाल पुत्र महेन्द्र सिंह	वि.के.का. श्यालावास	32/2023	06.01.2023	07.02.2023
मोहन लाल पुत्र नत्थूराम	के.का. जयपुर	1241/2021	20.01.2023	15.02.2023
अंकूर पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया	के.का. कोटा	364/2022	16.09.2022	11.10.2022

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. बृजेश सिंह पुत्र इन्द्रवीर सिंह, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 10 वर्ष 03 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2023 में बन्दी के खुला बन्दी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी द्वारा प्रतिबंधित धारा 394 व 397 की सजा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा **बंदी बृजेश सिंह पुत्र इन्द्रवीर सिंह** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. बलवीर सिंह पुत्र गुरूदीप सिंह, वि.केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 08 वर्ष 11 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2023 से आदेश प्राप्त होने की दिनांक से एक माह के भीतर प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्डित है। अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास ने बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है तथा वर्ष 2022 में आवंटित कार्य पूर्ण किया है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा **बंदी बलवीर सिंह पुत्र गुरूदीप सिंह** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. रामलाल पुत्र महेन्द्र सिंह, वि.केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 08 वर्ष 11 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2023 से आदेश प्राप्त होने की दिनांक से एक माह के भीतर प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्डित है। अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास ने बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है तथा वर्ष 2022 में आवंटित कार्य पूर्ण किया है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा **बंदी रामलाल पुत्र महेन्द्र सिंह** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. मोहन लाल पुत्र नत्थूराम, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 07 वर्ष 09 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2023 से आदेश प्राप्त होने की दिनांक से दो माह के भीतर प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर ने बंदी का आचरण संतोषप्रद बताया है तथा बन्दी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवन्दना की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा **बंदी मोहन लाल पुत्र नत्थूराम** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

5. अंकूर पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया, के.का. कोटा

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 08 वर्ष 06 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के D.B. Criminal Death Reference No. 01/2019 Connected with D.B Criminal Appeal No. 114/2018, S.B. Criminal Appeal No. 528/2018, S.B. Criminal Appeal No. 566/2018, D.B.Criminal Appeal No. 12/2019 के निर्णय दिनांक 03.03.2021 के अनुसार बन्दी की मूल सजा अवधि 25 वर्ष की सजा बिना परिहार के भुगत लेने पर समय पूर्व रिहा हेतु प्रकरण रखा जायेगा।

दिनांक 17.10.2022 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा बन्दी के प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी की मूल सजा अवधि 25 वर्ष मानते हुये मूल भुगती सजा एक तिहाई नहीं भुगतने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम नियम 4 (ग) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था। बन्दी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक मूल सजा अवधि की एक तिहाई सजा भुगत ली गई है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **अंकूर पाडिया पुत्र श्रवण लाल पाडिया उर्फ केदार पाडिया** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. नारायण पुत्र सुखा उर्फ सुखदेव, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 09 वर्ष 11 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2023 से 6 सप्ताह में प्रकरण पर विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

दिनांक 11.02.2014 को बंदी नारायण पुत्र सुखा उर्फ सुखदेव द्वारा 90 वर्ष की वृद्धा के साथ वृद्धावस्था व असहाय होने का नाजायज फायदा उठाकर रात के अंधेरे में अपनी हवस मिटाने के लिए उसके साथ दुष्कर्म किया व उसके गले की खुंगाली लूटने के बाद अपने आपराधिक कृत्य को छुपाने के लिए व उससे बचने के लिए गला दबा कर हत्या की गई। बन्दी को उक्त गंभीर अपराध कारित करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 302, 376, 394 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बन्दी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी का यह कृत्य अत्यन्त गंभीर है। बन्दी की वर्तमान में आयु 29 वर्ष है जिसे खुला शिविर में भेजे जाने से बन्दी द्वारा पुनः इस प्रकार का कृत्य करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में बंदी के प्रकरण पर विचार किया गया। बंदी को प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के अंतर्गत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 189/2022 में दिनांक 13.07.2022 को निर्णय दिया गया है कि बन्दी के खुला बन्दी शिविर के प्रकरण पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता, बन्दी द्वारा पुनः अपराध कारित करने की संभावना तथा खुले बन्दी शिविर में रह रहे अन्य बन्दियों पर पडने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिये।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी नारायण पुत्र सुखा उर्फ सुखदेव को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. सांवर लाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारी लाल, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 09 वर्ष 04 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.01.2023 में बन्दी के खुला बन्दी शिविर प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

दिनांक 25 व 26.04.2014 को बंदी सांवर लाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारी लाल द्वारा ट्रक चालक मृतक के शरीर पर चाकू से चोटे पहूँचाकर उसकी हत्या कर लाश ट्रक सहित छोडकर भाग गये। बन्दी को उक्त गंभीर अपराध कारित करने के लिए न्यायालय द्वारा धारा 302/34, 397,

201, भारतीय दण्ड संहिता एवं 4/25 आर्मस एक्ट के अधीन बन्दी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में बंदी के प्रकरण पर विचार किया गया। बंदी को प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (घ) के अंतर्गत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के अंतर्गत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **सांवर लाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारी** लाल को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. गौतम लाल पुत्र शंकर रैबारी, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 09 वर्ष 04 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बन्दी द्वारा पूर्व में दायर रिट पिटीशन संख्या 394/2022 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2022 की पालना में दिनांक 08.12.2022 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी को खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बन्दी द्वारा पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 30/2023 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2023 को निर्णय पारित कर बंदी को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने के प्रार्थना-पत्र पर 04 सप्ताह में पूर्नविचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी के विरूद्ध माननीय ए.डी.जे. संख्या-4, उदयपुर में प्रकरण संख्या 79/2014 अन्तर्गत धारा 307, 325, 149 आई.पी.सी. (जमानत पर) विचाराधीन है।

> राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **गोतम लाल पुत्र शंकर रैबारी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. शम्भूलाल पुत्र नाथू, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक 09 वर्ष 04 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बन्दी द्वारा पूर्व में दायर रिट पिटीशन संख्या 388/2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 की पालना में दिनांक 08.12.2022 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी को खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बन्दी द्वारा पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमीनल रिट पिटीशन संख्या 28/2023 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2023 को निर्णय पारित कर बंदी को बंदी खुला शिविर में भिजवाये जाने के प्रार्थना पत्र पर चार सप्ताह में पूर्नविचार कर निर्णय किये जाने हेतु आदेशित किया है।

बन्दी के विरूद्ध माननीय ए.डी.जे. संख्या-4, उदयपुर में प्रकरण संख्या 79/2014 अन्तर्गत धारा 307, 325, 149 आई.पी.सी. (जमानत पर) विचाराधीन है।

> राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर) है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **शम्भूलाल पुत्र नाथू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य सचिव	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।